# **प्रेस नोट दिनांक 13.02.2025**
# **थाना बारादरी जनपद बरेली।**

**थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा सैटेलाइट बस स्टेशन पर पार्सल ठेकेदार दो भाईयों पर गोली चलाकर एक भाई की हत्या व दूसरे को गम्भीर रूप से घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार,घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमन्चा बरामदगी के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर कर अभिरक्षा से फरार होने के प्रयास में मुठभेड में गोली लगने से घायल ।**

दिनांक 11.02.2025 की शाम को सूचना मिली कि सैटेलाइट बस स्टेशन पर पार्सल घर के पास 02 व्यक्तियों को गोली मार दी गयी है। सूचना पर तत्काल बारादरी पुलिस मौके पर पंहुची तो पाया कि सगे भाई अतुल पाण्डेय व अनुज पाण्डेय जो AVG लॉजिस्टिक्स माल पार्सल कोरियर के ठेकेदार है, को एक कुली ने गोली मार दी है। तत्काल दोनों घायलों को पास स्थित मैक्स लाइफ अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर अनुज को गोली सीने के पास लगे होने के कारण स्थिति गम्भीर देखकर एसआरएमएस भोजीपुरा के लिए रेफर कर दिया गया था एवं अतुल पाण्डेय का ईलाज मैक्स लाइफ में चल रहा है। इलाज के लिए एसआरएमएस पंहुचते ही अनुज पाण्डेय की मृत्यु हो गयी थी, गोली मारने वाले व्यक्ति को स्थानीय पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हिरासत में लिया गया था। मृतक व घायल दोनों भाई ग्राम जुडापुर पोस्ट सण्डवा चण्डिका थाना अन्तू जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। इसकी सूचना परिजनों को दी गयी। परिजन प्रतापगढ़ से दिनांक 12.02.2025 को सुबह उपस्थित आये जिनकी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0136/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109 बीएनएस बनाम बनाम 1.नौबत यादव पुत्र रामपाल यादव 2.दिनेश यादव पुत्र अज्ञात 3.राजन 4.कामदेव 5.नन्हे 6.इसरार 7.सुनील कश्यप के विरुद्ध संगठित व योजना बनाकर हत्या करने व हत्या का प्रयास करने का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना में मुख्य नामित अभियुक्त नौबत यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी मेहतरपुर करौड थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली को गिरफ्तार कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए घटना में प्रयुक्त असलहा की बरामदगी हेतु रात में ही लेकर जाया गया तो बरामदगी के दौरान ही छिपाकर रखे गये लोडेड तमन्चा से अचानक पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ व अभिरक्षा से फरार होने से रोकने हेतु जबाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

**विवरण पूछताछः-** अभियुक्त नौबत यादव उपरोक्त ने पूछताछ में बताया मैं रोड़वेज बस स्टेण्ड सेटेलाइट पर कुली का काम करता हूँ और भी लोग बस स्टेण्ड पर कुली का काम करते हैं जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। उ0प्र0 परिवहन निगम ने रोड़बेज बस स्टेण्ड सेटेलाईट पर माल पार्सल/कोरियर का ठेका अनुज पाण्डेय व अतुल पाण्डेय पुत्रगण राजेश पाण्डेय को नवम्बर 2024 में दे दिया था, जिसके बाद हम कुली लोगो को काम कम मिलने लगा था। कई बार हम लोगो ने ठेकेदार से कहा कि हमे पहले की तरह काम करने दें, किन्तु ठेकेदार दोनों भाईयो द्वारा यह कहा जा रहा था कि हम लोगों ने पैसे जमा कर ठेका लिया है, हम निर्धारित रेट से वजन के हिसाब से पैसा दे सकते हैं। निर्धारित रेट काफी कम था जिससे हम लोगों का काम नहीं चल पा रहा था, फिर हम सभी कुलियों ने इसकी शिकायत एआरएम रोडवेज आदि से की थी। इसी बीच दोनों ठेकेदार भाईयो ने अपने खुद के 05 आदमी कुली के रूप मे बुलाकर काम जारी रखा तब हम 05-07 कुली इकट्ठा हुए और यह प्लान बनाया कि जब तक यह ठेकेदार या ठेका चलेगा तब तक हम लोगो का भला नहीं होने वाला और यह तय हुआ कि इन दोनों भाईयो को रास्ते से हटाया जाये। दिनांक 11.02.25 को मैं रोज की तरह रोड़बेज बस स्टेण्ड पर अपनी मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना से काम करने आया तो अनुज और अतुल ने मुझे भगा दिया । मै इस बात से बहुत गुस्सा था उसके बाद मैंने शाम के करीब 06.00 बजे दोनों की हत्या करने का मन बनाकर तमन्चा व कारतूस लेकर इन दोनो से निपटने के लिए अपने साथियों दिनेश यादव पुत्र महेन्द्र यादव नि0 गोबर मोहल्ला मण्डी के पास थाना कोतवाली पीलीभीत व राजन पुत्र नामालुम नि0 सुभाषनगर थाना सुभाष बरेली, कामदेव पुत्र जीवन लाल नि0-मेहतरपुर करोड थाना बिथरी चैनपुर बरेली व नन्हें पुत्र सकूर अहमद नि0 उडला जागीर थाना बिथरी चैनपुर बरेली व इसरार पुत्र नामालुम नि0 उडला जागीर थाना बिथरी चैनपुर बरेली तथा सुनील कश्यप पुत्र राजन नि0 सुभाषनगर थाना सुभाषनगर

बरेली से बात की तो इन लोगो ने सहयोग का आश्वासन दिया और ये सब लोग मेरे साथ रोड़बेज बस स्टेण्ड सेटेलाईट पर आ गये, मैं अपनी मोटर साईकिल प्लेटिना से आया था और हम लोगो ने यह तय किया कि इन दोनो भाईयो को रास्ते से हटा देगे तो अन्य कोई ठेकेदारी करने नहीं आयेगे और हम सबलोग पहले की तरह काम करने लगेगें और तय हुआ कि अन्दर जाकर मैं दोनो को गोली से मारुँगा यदि मेरे ऊपर कोई भीड़-भाड़ हमला करती है या पकडती है तो हम सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको अपने साथ लेकर भाग चलेंगे। हम सब लोग रोड़बेज बस स्टेण्ड सेटेलाइट पर आ गये और मेरे साथी रोडवेज के बाहर आसपास लगकर निगरानी करने लगे, फिर मैं सीधे पार्सल घर में गया जहाँ देखा कि अनुज पाण्डेय बाहर ठेले पर बैठा है। मैनें फिर वही बात की तो उसने पहले की तरह काम से मना कर दिया, तब मैने उसे तमन्चा निकाल कर गोली मार दी उसके बाद मैनें तमन्चा फिर से लोड़ कर पार्सल घऱ के अन्दर जाकर तख्त पर लेटे हुए अतुल पाण्डेय को भी गोली मार दी और वहां से भाग गया। भागकर सबसे पहले मैने तमन्चा व कुछ जिन्दा कारतूस जो बचे थे उसे भरतौल रोड पर बन्दपडी फैक्ट्री की झाडियों में छिपाकर पुनः भागने के चक्कर में था कि पकड लिया गया।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>**नौबत यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी मेहतरपुर करौड थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।

**<u>आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त नौबत यादव–</u>**

1.मु0अ0सं0 295/2024 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना कोतवाली बरेली ।
2.मु0अ0सं0 579/2024 धारा 115(2)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर बरेली ।
3.मु0अ0सं0 0136/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109 बीएनएस थाना बारादरी बरेली ।

**<u>बरामदगीः-</u>**.एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 03 खोखा कारतूस 12 बोर (घटना में प्रयुक्त) , एक मो0सा0 प्लेटिना बिना नम्बर प्लेट की रंग काला व नीला (घटना में प्रयुक्त)

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धनंन्जय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी बरेली ।
2.निरीक्षण अपराध श्री अरविन्द कुमार थाना बारादरी बरेली ।
3.व0उ0नि0 श्री रोहित शर्मा थाना बारादरी बरेली ।
4.टीएसआई श्री योगेश कुमार यातायात पुलिस बरेली
5.टीएसआई श्री कलुआ खां यातायात पुलिस बरेली
6.हे0का0 राजेन्द्र कुमार यातायात पुलिस बरेली
7.हे0का0 640 मो0 असलम थाना बारादरी बरेली ।
8.हे0का0 534 आशीष कुमार मिश्रा थाना बारादरी बरेली ।
9.का0 3319 कुर्बान अली थाना बारादरी बरेली ।
10.का0 555 दिपांशु पोसवाल थाना बारादरी बरेली ।